Dr. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY, JAIPUR
(A State Funded University of Rajasthan)
Plot No. 08, Dehmi Kalan, JDA Institutional Scheme,
Bagru Teh. Sanganer, Distt. Jaipur – 303007 (Rajasthan)
www.alujaipur.ac.in E-mail:registrar@alujaipur.ac.in

क्रमांकः प. 6।।(01) शैक्षणिक–।।/2025–26/1539 दिनांकः 11/07/25

समस्त प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॅा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय,
जयपुर

विषयः शैक्षणिक सत्र 2025–26 की सम्बद्धता के संदर्भ में।
संदर्भः विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 25.02.2025 तथा 29.03.2025

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु जारी किये गये सम्बद्धता पत्रों में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालना दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिन महाविद्यालयों द्वारा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये सम्बद्धता पत्र जारी किये जा चुके हैं। अनेक महाविद्यालयों के द्वारा आदिनांक तक पालना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कारण उन्हें सम्बद्धता पत्र जारी किये जाने पर विचार करना संभव नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 01 जुलाई, 2025 से प्रारंभ की जा चुकी है। जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता पत्र जारी किये जा चुके हैं वे 31 जुलाई, 2025 तक प्रवेश पकिया पूर्ण करें। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025–26 का अध्यापन कार्य दिनांक 01.08.2025 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जिन महाविद्यालयों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु जारी किये गये सम्बद्धता पत्रों में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना मय दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं की गई है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.07.2025 तक पूर्ण पालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को व्यक्तिगत वाहक के द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे उन्हें शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये सम्बद्धता पत्र जारी करने पर विचार किया जा सके। सम्बद्धता पत्र के अभाव में छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2025.26 प्रवेश दिया जाना नियमानुसार नहीं है। जिसके लिये महाविद्यालय ही जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव

क्रमांकः प. 6।।(01) शैक्षणिक–।।/2025–26/1540-45 दिनांकः 11/07/25

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, कुलगुरू, डॅा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, डॅा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, डॅा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. ए.सी.पी., डॅा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

कुलसचिव